Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में सरपंच एवं उसके पति को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा देहात इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत गंदीफली, पं. स. लाडपुरा, कोटा निर्मला बाई एवं उसके पति महावीर मीणा को को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए. सी.बी. की कोटा देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि गैस एजेंसी के साईट प्लान के नक्शे का अनुमोदन करने की एवज में ग्राम पंचायत गंदीफली, पं. स. लाडपुरा, कोटा निर्मला बाई एवं उसके पति महावीर मीणा द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये निर्मला मीणा पत्नी महावीर मीणा निवासी गलाना, त. लाडपुरा, जिला कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत गंदीफली, पं. स. लाडपुरा, कोटा एवं उनके सरपंच के पति महावीर मीणा पुत्र श्री पन्नालाल मीणा निवासी गलाना, त. लाडपुरा, जिला कोटा को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।